वैंक ऑफ़ बहादा

(प्रधान कार्यालय, मांडवी, बडौदा) शाखा का नाम

<u> वैंककारी कंपनी (नामांकन) नियम, 1985</u>

<u>. फार्म ही.ए. 1</u>

बैंक जमा के संबंध में बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए और बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियम,1985 के नियम 2(1) के अधीन नाम^{;्}कन.

मैं/हम(नाम एवं पता) निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करता हूं/करते हैं, जिसे ______ शाखा (उस शाखा/ कार्यालय का नाम जिसके पास जमा राशि है) मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने की स्थिति में जमा राशि की रकम जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, लौटा दें.

	जमाराशि			नामिती				
जमाराशि का प्रकार	विशिष्ट संख्या	अतरिक्त ब्यौरा, यदि कोई है	नाम	पता	जमाकर्ता से सम्बन्ध, यदि हो	आयु	यदि नामिती अवयस्क हो तो जन्मतिथि	

+2. चूंकि उक्त तारीख को नामिती अवयस्क है, अत: मैं/हम श्री/श्रीमती/कु०

......(नाम,पता एवं आयु) को अवयस्कता के दौरान रहते हुए मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नाग्मिती की ओर से उक्त जमा राशि प्राप्त करने हेतु नामित करता/करती हूं/करते हैं.

स्थान.....

दिनांक.....

गवाह/हों का/के नाम, हस्ताक्षर एवं

* जमाकर्ता/ओं के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान

पता #

+ यदि नामिती अवयस्क नहीं है तो इस बिंदु को काट दें.

*जहां जमाराशि अवयस्क के नाम से है, वहां नामांकन परिवर्तन पत्र ^{पर अवयस्}क की ओर से कार्यवाही करने के कानूनन हकदार द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.

*अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय, मांडवी, बड़ौदा)

शाखा का नाम

<u>फार्म डी.ए. 2</u>

बैंक जमा के संबंध में बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की धहरा 45 जेडए और बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियम,1985 के नियम 2(5) के अधीन नामांकन रद्द करना.

मैं/हम		ए	तद्द्वारा	मेरे	/हमारे	द्वारा
	के	संबंध				विवरण)
	(नाम एवं प	पता) के	पक्ष में	किए गए	ंनामांव	ज्न को रद्द
करता/करते						

	जमाराशि			*गरमिती				
जमाराशि का	विशिष्ट संख्या	अतरिक्त सूचना, यदि कोई है	नाम	पता	जमाकर्ता से	आयु	यदि नामिती	
प्रकार		सूचना, यदि			सम्बन्ध यदि		अवयस्क है तो जन्मतिथि	
		कोई है			青い		तो जन्मतिथि	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Î	а.							

स्थान.....

दिनांक.....

गवाह/हों का/के नाम, हस्ताक्षर एवं

* जमाकर्ता/ओं के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान

पता +

*जहाँ जमाराशि अवयस्क के नाम से है, वहां नामांकन रद्द करने के पत्र पर अवयस्क की ओर से कार्यवाही करने के कानूनन हकदार द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.+अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय, मांडवी, बड़ौदा)

शाखा का नाम

फार्म डी.ए. 3

बैंक जमा के संबंध में बैंककारी विश्निमयन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए और बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियम,1985 के नियम 2(6) के अधीन नामांकन में परिवर्तन करना.

मैं/हम द्वारा......(नाम एवं पता) मेरे/हमारे द्वारा......(नाम एवं पता) के पक्ष में किए गए नामांकन को रद्द करते है और एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को नामित करते हैं, जिसे मेरे/हमारे/अवयस्क की मृत्यु होने पर जमा की गई राशि जिसके विवरण नीचे दिए गए हैं वापस किया जायेगा.

	जमाराशि				नामिती		
जमाराशि का	विशिष्ट संख्या	अतरिक्त	नाम	पता	जमाकर्ता से	आयु	यदि नामिती
प्रकार		सूचना, यदि कोई			सम्बन्ध यदि		अवयस्क है
		कोई			है		तो जन्मतिथि
					~		
			-				
-,							<u> </u>

+2. चूंकि नामिती उक्त तारीख को अवयस्क है, अत: मैं/हम श्री/श्रीमती/कु०(नाम,पता एवं आयु) को नामिती के अवयस्क रहते हुए मेरी /हमारी /अवयस्क की मृत्यु होने पर नामिती की ओर से उक्त जमा राशि प्राप्त करने हेतु नामित करता हूं/करते हैं.

स्थान.....

दिनांक.....

गवाह/हों का/के नाम, हस्ताक्षर एवं

* जमाकर्ता/ओं के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान

पता #

+ यदि नामिती अवयस्क नहीं है तो इस र्बिदु को काट दें.

* जहां जमाराशि अवयस्क के नाम से है, वहां नामांकन परिवर्तन पत्र पर अवयस्क की ओर से कार्यवाही करने के कानूनन हकदार द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.

अंगूठे के निशान दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

(प्रधान कार्यालय, मांडवी, बड़ौदा) शाखा का नाम

<u>फार्म एस.सी.आई</u>

बैंककारी कम्पनी के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के संबंध में बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडसी और बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियम,1985 के नियम 3(1) के अंतर्गत नामांकन.

				नामिती					
	वस्तुए								
प्रकार	विशिष्ट संख्या	अतरिक्त	नाम	पता	जमाकर्ता से	आयु	यदि नामिती		
		ब्यौरा, यदि	ł		सम्बन्ध, यदि		अवयस्क हो		
		कोई है			te	 	तो जन्मतिथि		
			-						
						=			
							L		
L +2. चूं	कि नामिती	उक्त त	ारीख को	अवयस्क	है, अत:	मैं/हम	श्री/श्रीमती/कु०		
(/कत्त गरा	एतं आग) को ना	मिती के अवयस्क	रहते हुए मेरी /	हमारी /अवयस्क		

......(नग्म,पता एव आयु) को नामिती के अवयस्क रहत हुए मरा /हमारा /अवयस्क की मृत्यु होने पर नामिती की ओर से जमा राशि प्राप्त करने हेतु नामित करता हूं/करते हैं.

स्थान.....

दिनांक.....

गवाह/हों का/के नाम, हस्ताक्षर एवं

* जमाकर्ता/ओं के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान

पता #

+ यदि नामिती अवयस्क नहीं है तो इस बिंदु को काट दें.

* जहां सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तु अवयस्क के ताम से है वहां नामांकन उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए जो अवयस्क की ओर से कार्य करने हेतु कानूनन हकदार हो.

अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा.

बैंक ऑफ़ बड़ीदा (प्रधान कार्यालय, मरंडवी, बड़ौदा)

शाखा का नाम

<u>फार्म एस.सी. 2</u>

बैंककारी कम्पनी के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के संबंध में बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडसी और बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियम,1985 के नियम 3(4) के अंतर्गत नामांकन रद्द करना.

मैंपत्दद्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई मेरी..... (वस्तुओं के विवरण दें) के संबंध में...... (नाम एवं पता) के पक्ष में मेरे द्वारा किए गए नामरंकन को रद्द करता हूं.

	वस्तुएं			नामिती					
प्रकार	विशिष्ट संख्या	अतरिक्त	नाम	पता	जमाकर्ता से	आयु	यदि नामिती		
		सूचना, यदि			सम्बन्ध, यदि		अवयस्क है तो जन्मतिथि		
		कोई है			te		तो जन्मतिथि		
							_		
					,				

स्थान.....

दिनांक.....

गवाह/हों का/के नाम, हस्ताक्षर एवं

* जमाकर्ता/ओं के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान

पता +

* जहां सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तु अवयस्क के नाम से है वहां नामांकन उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए जो अवयस्क की ओर से कार्य करने हेतु कानूनन हकदार हो.+अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वण्रा अनुप्रमाणित किया जाएगा.

बैंक ऑफ़ बड़ीदा

(प्रधान कार्यालय, मांडवी, बड़ौदा)

शाखा का नाम

<u>फार्म एस.सी. 3</u>

बैंककारी कम्पनी के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के संबंध में बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडसी और बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 3(5) के अंतर्गत नामांकन परिवर्तन करना

मैं					(नाम	एवं	पता)	मेरे
द्वारा				(नाम लतं पत	π) के पक्ष में किए गर	र् नामांकन को	रद्द करता हूं और	एतद्द्वारा
निम्नलिखित	व्यक्ति को न	गमित करता हूं,	जेसे		(शाखा/कार्योव	नय का नाम एव	व पता जहा वस्तुर	र सुरक्षित
अभिरक्षा में र	रखी गई है)	मेरे/अवयस्क की	मृत्यु होने पर सुरक्षि	त अभिरक्षा में रखी ग	ई वस्तएं जिसके विव	रण नीचे दिए	गए हैं, लौटा दें <i>.</i>	

	वस्तुएं			नामिती					
प्रकार	विशिष्ट संख्या	अतरिक्त सूचना, यदि है	न०म	पता	जमाकर्ता से सम्बन्ध यदि है	आयु	यदि नामिती अवयस्क है तो जन्मतिथि		

+2. चूंकि उक्त तारीख को नामिती अवयस्क है, अत: मैं श्री/श्रीमती/कु०नामतात्र के तारीख को नामिती अवयस्क है, अत: मैं श्री/श्रीमती/कु० को अवयस्कता के दौरान रहते हुए मेरी/अवयस्क की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामिती की ओर से उक्त जमा राशि प्राप्त करने हेतु नामित करता हूं/करते हैं.

स्थान.....

दिनांक.....

गवाह/हों का/के नाम, हस्ताक्षर एवं

* जमाकर्ता/ओं के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान

पता #

+ यदि नामिती अवयस्क नहीं है तो इस बिंदु को काट दें.

* जहां सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तु अवयस्क के नाम से है वहां नामांकन उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए जो अवयस्क की ओर से कार्य करने हेतु कानूनन हकदार हो.

अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय, मांडवी, बड़ौदा)

शाखा का नाम

<u>फार्म एसएल 1</u>

सुरक्षा लॉकर के संबंध में बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारु 45 जेडई और बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियम,1985 के नियम 4(1) के अधीन एकल किरायेदार द्वारा नामलंकन

में			(नाम एव	ं पता)	निम्नलिखित व्यक्ति को मन्ग	नामित चेरे
करता	हूं,	ज ी	मेरे/अवयस्क	26	7(9	
पर			(शाखा/कार्यालय	का ना	म एवं पता जहां लॉकर म	ાંચૂર્
में लॉकर का प्रयोग	कर सकता है औ	रि लॉकर में रखी वस्तुओं, जिस	के विवरण निम्नलिखित है,	, को निर	काल सकता ह:-	

	लॉकर				- ना	मेती	
प्रकार	विशिष्ट		अतरिक्त	नाम	पता	किराएदार से सम्बन्ध, यदि	आयु
		या	सूचना, यदि			सम्बन्ध, यदि	
	संख्या		है			<u>ह</u> ै	
					1		
			1				

स्थान.....

दिनांक.....

गवाह/हों का/के नाम, हस्ताक्षर एवं

* किरायेदार के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान

प्रता +

* जहां लॉकर एकल अवयस्क द्वारा किराए पर लिया गया है वहां नामांकन उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए जो अवयस्क की ओर से कार्य करने हेतु कानूनन हकदार हो.

+अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

(प्रधान कार्यालय, मांडवी, बडौदा)

शाखा का नाम

<u>फार्म एसएल</u> 1ए

सुरक्षा लॉकर के संबंध में बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडई और बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियम, 1985 के नियम 4(2) के अधील संयुक्त किरायेदार द्वारा नामांकन.

मैं/हम(नाम एवं पता) निम्नलिखित व्यक्ति(यों) को नामित करता हूं/करते हैं, जो हम में से एक या अधिक की मृत्यु होने पर...... का नाम एवं पता जहां लॉकर मौजूद है) में उत्तरजीवी या हमारे उत्तरजीवी के साथ संयुक्त रूप से लॉकर का प्रयोग कर सकता है/सकते हैं और लॉकर में रखी वस्तुओं, जिसके विवरण निम्नानुसार हैं को निकाल सकता है/सकते हैं :-

	लॉकर			ना	मेती	
प्रकार	विशिष्ट चिह्न या संख्या	अतरिक्त सूचना, यदि है	नाम	पता	किरायेदार से सम्बन्ध, यदि है	आयु
				-		

स्थान.....

दिनांक.....

गवाह/हों का/के नाम, हस्ताक्षर एवं

* हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान

पता #

* अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

(प्रधान कार्यालय, मांडवी, बड़ौदा)

शाखा का नाम

<u>फार्म एसएल 2</u>

सुरक्षा लॉकर के संबंध में बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडई एवं 52 तथा बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियम,1985 के नियम 4(1) के अधीन संयुक्त किरायेदार द्वारा नामांकन रद्द करना

मैं/हम						(नाम	एवं पता)	एतद्द्वारा	मेरे/हमारे	द्वारा
सरक्षा	लॉकर,	जिसके	विवरण	नीचे	दिए	गए	ε,	чp	संबध	- 4
3						नाम एवं पत	ता) के पक्ष	में किए गए	नामांकन व	को रद्द
	हूं/करते हैं:-				•					

	लॉकर		नामिती			
प्रकार	विशिष्ट	अतरिक्त	नाम	पता	किरायेदार से	आयु
	चिह्न या	सूचना, यदि			सम्बन्ध, यदि	
	संख्या	है			まし	
					0	

स्थान.....

दिनांक.....

गवाह/हों का/के नाम, हस्ताक्षर एवं

* किराएदार/रों के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान

पता +

* जहां लॉकर अवयस्क द्वारा अकेले किराये पर लिया गया है वहां नामांकन रद्द करने हेतु अवयस्क की ओर से कार्यवाही करने के कानूनन हकदार द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाने चाहिए. +अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा.

बैंक ऑफ़ बहौदा

(प्रधान कार्यालय, मांडवी, बड़ौदा)

शाखा का नाम

<u>फार्म एस.एल. 3</u>

सुरक्षा लॉकर के संबंध में एकल किरायेदार द्वारा बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडई और 52 एवं बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियम,1985 के नियम 4(6) के अधीन नामांकन में परिवर्तन करना

	लॉकर			नामिती				
प्रकार	विशिष्ट	अतरिक्त	नाम	पता	किराएदार से सम्बन्ध, यदि	आयु		
8	चिह्न या	सूचना, यदि			सम्बन्ध, यदि			
°	संख्या	है			ह			
		ŧ			-			
			-					
					====================================			

स्थान.....

दिनांक.....

गवाह/हों का/के नाम, हस्ताक्षर* एवं

किराएदार के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान

पता+

* जहां लॉकर अवयस्क द्वारा अकेले किराए पर लिया गया है वहां नामांकन अवयस्क की ओर से कार्रवाई करने के लिए कानूनन हकदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए.

+अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय, मांडवी, बड़ौदा)

शाखा का नाम

<u>फार्म एस.एल. 3ए</u>

सुरक्षा लॉकर के संबंध में बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडई और 52 एवं बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियम, 1949 के नियम 4(7) के अधीन संयुक्त किरायेदार द्वारा नामांकन में परिवर्तन करना

	लॉकर			नामिती				
प्रकार	विशिष्ट संख्या	अतरिक्त	नाम	पता	किराएदार	आयु		
		सूचना, यदि			से सम्बन्ध.			
		है			यदि है			
			_					

स्थान.....

दिनांक.....

गवाह/हों का/के नाम, हस्ताक्षर एवं

किराएदारों के हस्ताक्षर / अंगूठे के निशान

पता +

≁अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए |

(Head Office, Mandvi, Baroda)

Name of Branch: _____

Banking Companies (Nomination) Rules, 1985

FORM DA 1

Nomination under section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1)of Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 in respect of bank deposits

	DEPOSIT		NOMINEE					
Nature of	Distinguishing No.	Additional details,if any	Name	Address	Relationship with depositor if any	Age	If nominee is a minor his date of birth	

⁺2. As the nominee is a minor on this date, I / We appoint Shri / Smt. / Kum.:...

......(Name, address and age) to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee event of my/our/minor's death during the minority of the nominee.

Place:_____

Date: _____

Name(s),signature(s) and address(es)of witness(es)#

*Signature (s) / Thumb impression of depos.

+ Strike out if nominee is not minor.

* Where deposit is made in the name of a minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

* Thumb impression(s) shall be attested by two witnesses.

(Head Office, Mandvi, Baroda)

Name of Branch: _____

FORM DA 2

Cancellation of nomination under section 45ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and 2(5) of the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 in respect of back deposits

I/We[names(s) and address(es)] hereby cancel the nomination made by me/us in favour of(name and address) in respect of(giving details of deposit).

	DEPOSIT		NOMINEE					
Nature of	Distinguishing No.	Additional details,if any	Name	Address	Relationship with depositor if any	Age	If nominee is a minor his date of birth	

Place:_____

Date: _____

Name(s), Signature(s) and address(es) of witness(es)+ depositor(s) *Signature(s)/Thumb impression(s) of

* Where deposit is made in the name of minor, the cancellation of nomination should be .signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor. + Thumb impression(s) shall be attested by two witnesses.

(Head Office, Mandvi, Baroda)

Name of Branch: _____

FORM DA 3

Variation of nomination under section 45ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(6) of the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 in respect of bank deposits

	DEPOSIT		NOMINEE					
Nature of	Distinguishing No.	Additional details, if any	Name	Address	Relationship with depositor if any	Age	If nominee is a minor his date of birth	

+2. As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./Kum.....(name, address and age) to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee, in the event of my/our/minor's death during the minority of the nominee.

Place:_____

Date: _____

Name(s), signature(s) and of address(es) witnesses)#

Signature(s)/Thumb Impression(s) address(es) of depositor(s)

+ Strike out if nominee is not a minor.

* Where deposit is made in the name of a minor, the variation of nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

Thumb impression(s) shall be attested by two witnesses.

(Head Office, Mandvi, Baroda)

Name of Branch: _____

FORM SCI

Nomination under section 45ZC of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 3(1) of the Banking Companies (Nomination' Rules, 1985, in respect of articles left in safe custody with banking company.

I, (name and address) nominate the following person to whom, in the event of my/minor's death the articles left in safe custody, particular whereof are given below, may be returned by(name and address of branch/office in which the articles are left in safe custody)

	ARTICLES		NOMINEE						
Nature of	Distinguishing No.	Additional details, if any	Name	Address	Relationship with depositor if any	Age	If nominee is a minor his date of birth		

+2. As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./Kum.....(name, address and age) to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee, in the event of my/our/minor's death during the minority of the nominee.

Place:_____

Date: _____

Name(s), address(es) signature(s)of witness(es)# *Signature/Thumb Impression of depositor

+ Strike out if nominee is not a minor.

* Where deposit is made in the name of a minor, the variation of nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

Thumb impression(s) shall be attested by two witnesses.

(Head Office, Mandvi, Baroda)

Name of Branch: _____

FORM SC 2

Cancellation of nomination under section 45ZC of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 3(4), of the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 in respect of articles left in safe custody with banking company

	ARTICLES			NOMINEE					
Nature of	Distinguishing No.	Additional details,if any	Name	Address	Relationship with depositor if any	Age	If nominee is a minor his date of birth		

Place:_____

Date:

Name(s), Signature(s)and address(es)

*Signature/Thumb impression of

of witness(es)+

of depositor/s

* Where article are left in safe custody in the name of a minor, the cancellation nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the mind +Thumb impression shall be attested by two witnesses.

(Head Office, Mandvi, Baroda)

Name of Branch: _____

FORM SC 3

Variation of Nomination under section 45ZC of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 3(5) q the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 in respect of articles left in safe custody with banking company.

of branch/office in which articles are left in safe custody)

ARTICLES			NOMINEE					
Nature of	Distinguishing No.	Additional details, if any	Name	Address	Relationship with depositor if any	Age	If nominee is a minor his date of birth	

Place:_____

Date: _____

Name(s), signature(s) and

*Signature/Thumb impression

address(es) of witnesses)#

of depositor.

+ Strike out if nominee is not a minor.

* Where articles are left in the safe custody in the name of a minor, the variation of nomination should be signed by a person, lawfully entitled to act on behalf of the minor. #Thumb impression shall be attested by two witnesses.

(Head Office, Mandvi, Baroda)

Name of Branch: _____

FORM SL 1

Nomination under section 45ZE of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 4(1) of the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985, by sole hirer in respect of safety locker.

I,.....(name and address) nominee the following person to whom in the event of my/minor death(name and address of branch/office in which the locker is situated) may give access to the locker and liberty to remove the contents of the locker, particulars whereof are given below:-

	LOCKER				NOMINEE					
Nature of	Distinguishing mark or No.	Additior details, any		Name	Address	Relationship with hirers, if any	Age			

Place:_____

Date: _____

Name(s), signature(s) and address(es)

*Signature/Thumb impression

of witness(es)+

of hirer

*Where the locker is hired solely in the name of a minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

+ Thumb impression shall be attested by two witnesses.

(Head Office, Mandvi, Baroda)

Name of Branch: _____

FORM SL 1A

Nomination under section 45ZE of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 4(2) of the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 by joint hirers in respect of safety locker.

I / We,(name and addresses) nominate the following person(s) to whom in the event of the death of one or more of us(name and address of branch/office in which the locker situated) may give access to the locker and liberty to remove the contents of the locker, particulars whereof are given below, jointly with the survivor or survivors of us.

	LOCKER		NOMINEE(S)				
Nature of	Distinguishing mark or No.	Additional details, if any	Name	Address	Relationship with hirers, if any	Age	

Place:_____

Date: _____

Name(s), signature(s) impression

*Signature/Thumb

and address(es) witness(es)*

* Thumb impression(s) shall be attested by two witnesses.

(Head Office, Mandvi, Baroda)

Name of Branch: _____

FORM SL 2

Cancellation of nomination under sections 45ZE and 52 of the Banking Regulation At Rule 4(5) of the Banking Companies (Notification) Rules, 1985 in respect of safety locker.

	LOCKERS		NOMINEE(S)				
Nature of	Distinguishing mark or No.	Additional details, if any	Name	Address	Relationship with hirers, if any	Age	

Place:

Date: _____

Name(s), Signature(s) impression(s)and address(es) of witness(es)+ *Signature(s)/Thumb of hirer(s)

* Where the locker is hired solely in the name of a minor, the cancellation of should be signed by a person lawfully, entitled to act on behalf of the mine + Thumb impression should be attested by two witnesses.

(Head Office, Mandvi, Baroda)

Name of Branch: _____

FORM SL 3

Variation of nomination under sections 45ZE and 52 of Banking Regulation Act, 1949 and Rule 4(6) of the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 by sole hirer in respect of safety locker.

I,(name and address) the nomination made cancel by me in favour of(name and address) and hereby nominate the following person to whom in the event of my death / minor's death.....(name and address of, branch/office in which the locker is situated) may give access to the locker and liberty to remove the contents of locker, particulars whereof are given below:

LOCKERS			NOMINEE(S)				
Nature of	Distinguishing mark or No.	Additional details, if any	Name	Address	Relationship with hirers, if any	Age	

Place:_____

Date:	

Name(s), signature(s) *

and address(es) of witness(es)+

Signature /Thumb impression

of hirer

*Where the locker is hired solely in the name of a minor, the nomination should be signed by a person lawfully, entitled to act on behalf of the minor.

+ Thumb impression shall be attested by two witnesses.

(Head Office, Mandvi, Baroda)

Name of Branch: _____

FORM SL 3A

Variation of nomination under sections 45ZE and 52 of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 4(7) of the Banking Companies (Nomination) Rules, 1985 by joint hirers in respect of safety locke*r*.

	LOCKERS	NOMINEE(S)				
Nature of	Distinguishing mark or No.	Additional details, if any	Name	Address	Relationship with hirers, if any	Age

Place:

Name(s), signature(s) and address(es) witness(es)+

Signature/Thumb impression of hirers

+ Thumb impression (s) shall be attested by two witnesses.